

फर्द अहकाम

न्यायालय बईजलास उपखण्ड अधिकारी चाकसू जिला, जयपुर

केस संख्या :- 61/2024

शंभुलाल बनाम नाथुलाल

दावा

क्रमांक या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
57/1/24	दावा वकील वादी ने पेश किया। रिपोर्ट सरिस्ता होकर पेश हुई। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जावे। वकील वादी उपस्थित है। प्रतिवादीगण की तलवी जरिये रजिस्टर्ड ए.डी से जारी होकर पत्रावली दिनांक 28/2/24 को पेश हो।	
59/1/24	पत्रावली आज वकील वादी के विज्ञे शा. पत्र पेश करने पर तलब की गई। वकील वादी व लवण वादी उप. वकीलवादी ने शा. पत्र पेश किया कि पक्षकारन की मध्य लोक अदालत की भाषना ले शर्जीनात हो गया है व वादी अब दावे से आगे नहीं चलाकर लोक अदालत की भाषना ले विज्ञे करना चाहता है अतः वकील वादी का विज्ञे शा. पत्र स्वीकार देने पर दावा वादी विज्ञे (आरिज) किया जाता है पत्रावली वाद तलमीत दायित्व (पत्र हो)	शंभुलाल शर्मा पक्षकारन चलाकर आगे दिनांक 28/2/24

उपखण्ड अधिकारी  
चाकसू(जयपुर)

उपखण्ड अधिकारी  
उपखण्ड, चाकसू (जयपुर)